दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.08.2014 की कार्यवृत्ति

स्थानः कुलपति कान्फ्रेन्स कक्ष
समय अपरान्ह 12.30 बजे
उपस्थितिः–

1- प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर	अध्यक्ष
2- संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन,गोरखपुर मण्डल,गोरखपुर (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
3- कुलसचिव, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सदस्य
4- परीक्षा नियन्त्रक, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सदस्य
5- वित्त अधिकारी, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सचिव

कार्य–वृत्त

विचारणीय प्रकरण में समिति अवगत हुई कि विश्वविद्यालय में सेवा निवृत्त कर्मचारियों को 180 दिन के अवकाश नकदीकरण की सुविधा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.5.2004 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में 2004 से दी जा रही थी जिसको वित्त समिति की बैठक दिनाक 07.10.2010 के निर्णयानुसार बढा कर 300 दिन कर दिया गया। विश्वविद्यालय में यह सुविधा 2013 तक लागू रही।

शासन के आदेश सं0 1224(1)/सत्तर–4–2012 दिनांक 21 अगस्त, 2012 के द्वारा शासन स्तर से उ0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 21(3) एवं 21(4) के अनुसार शासनस्तर से अनुमति प्राप्त न होने के कारण इसे अनियमित मानते हुए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया और तत्कालीन कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक/वित्त अधिकारी तथा कुलपति के विरुद्ध साक्ष्य सहित आरोप पत्र गठित कर शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पुनः शासन से इस पत्र में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु अनुस्मारक भी प्राप्त हुआ। कर्मचारी महासघ के आन्दोलन को ध्यान में रखते हुए शासन के द्वारा आदेश सं0 791/सत्तर–4–2014 दिनांक 21.08.2014 के माध्यम से उपरोक्त सन्दर्भित शासन के आदेश दिनांक 21.08.12 के कियान्वयन को अग्रिम आदेशों तक के लिये स्थगित कर दिया गया है तथा मॉगों के सम्बन्ध मे शासन तथा विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है।

सम्यक विचारोपरान्त समिति ने यह निर्णय लिया कि उ0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 21(3) एव 21(4) के अनुसार प्रकरण मे शासन की अनुमति आवश्यक है इसलिये अवकाश नकदीकरण के प्रकरण को विश्वविद्यालय स्तर का प्रकरण नही माना जा सकता। जहाँ तक विश्वविद्यालय के बजट में प्रावधान का प्रश्न है इसके सम्बन्ध में क्योंकि वर्तमान में विश्वविद्यालय अपने श्रोतों से इस व्यय को वहन करने हेतु सक्षम है, अतः मद का प्राविधान करते हुए उसमे वास्तविक सीमा तक धनराशि की उपलब्धता हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि

शासन से अनुमति प्राप्त होने पर इसे स्वतः प्रवृत्त माना जायेगा और स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से–

विश्वद्यालय कर्मचारियों के हडताल अवधि दिनांक 05.08.14 से 21.08.14 तक के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखतें हुए कर्मचारी हित में यह निर्णय लिया गया कि इस अवधि का वेतन अग्रिम के रुप में दिया जाये। इसके सम्बन्ध में शासन को अवगत कराते हुए दिशा निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। भविष्य में इसे दृष्टान्त न माना जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन,गोरखपुर
सदस्य

परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य

कुलसचिव
सदस्य

वित्त अधिकारी
सचिव, वित्त समिति

कुलपति
अध्यक्ष, वित्त समिति